



Neutral Citation No.-2026:AHC:8130

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-10404 वर्ष 2025

नवनाथ मिश्रा उर्फ पट्टू आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अथर्व दीक्षित, राकेश कुमार मिश्रा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, विश्वेश्वर मणि त्रिपाठी

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. श्री मनीष तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अथर्व दीक्षित, आवेदक के अधिवक्ता, श्री विश्वेश्वर मणि त्रिपाठी, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता के साथ-साथ श्री संजीव सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुनील कुमार द्वारा सहायता प्राप्त राज्य के अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों पर रखे गए तथ्यों का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक द्वारा केस अपराध संख्या-414 वर्ष 2023 में धारा 147, 148, 149, 34, 323, 427, 352, 452, 504, 307, 302 भ०द०वि०, 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और 27/29(2) शस्त्र अधिनियम, थाना-रुद्रपुर, जिला: देवरिया के तहत दायर किया गया है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि वह आवेदक की जमानत पर बहस नहीं कर सकता क्योंकि सह-आरोपी व्यक्तियों को दी गई जमानत को सूचनाकर्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 28.11.2025 के अपने आदेश के माध्यम से एस.एल.पी. (आपराधिक) डायरी संख्या (एस) में पारित उक्त जमानत रद्द करने के आवेदन को खारिज कर दिया था। 2025 का 42979।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि मृतकों में से तीन को लगी चोटें घायल घाव थीं, इस तरह, वे आग्नेयास्त्र के कारण नहीं हो सकती हैं। दोनों मृतकों को गोली लगी है। आवेदक, जो सत्ताईस नामित अभियुक्तों में से एक है और लगभग 50 अज्ञात व्यक्ति केवल गैरकानूनी सभा का सदस्य था।

6. अभियोजन पक्ष की कहानी इस तथ्य से भी गलत साबित होती है कि अभियुक्त व्यक्तियों में से एक अभिषेक यादव अस्तित्वहीन था और जांच एजेंसी द्वारा उसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती थी।

7. जय प्रकाश दुबे नाम के व्यक्ति की वर्ष 2023 में घटना से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, इस प्रकार उसे भी मामले में झूठा फंसाया गया था।

8. श्री प्रकाश दुबे के पास एक मजबूत बहाना है, क्योंकि वह कैंसर का इलाज करा रहे थे। सह-आरोपी व्यक्ति श्री राम दुबे भारत में नहीं रहता था। बल्कि, वह सऊदी अरब में रहता है, इस तरह, अभियोजन की पूरी कहानी झूठी है।

9. वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि यह सच है कि इस मामले में एक क्रॉस संस्करण है, क्योंकि आवेदक की ओर से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जबकि तत्काल सूचनाकर्ता की ओर से पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और एक घायल है, जो इस समय नाबालिग है, इस समय, यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि कौन सा पक्ष हमलावर था, और इसलिए, आवेदक जमानत का हकदार है।

10. आवेदक 8.10.2023 से जेल में है और मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

11. तत्सम विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है। सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा है कि दो चश्मदीद गवाह हैं, जिनसे अदालत में पूछताछ की गई है और उन्होंने स्पष्ट रूप से आवेदक को प्राथमिक आरोपी व्यक्ति के रूप में नामित किया है, क्योंकि उसने मृतक पर .315 बोर की राइफल से गोली चलाई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 28.11.2025 के अपने आदेश के माध्यम से आदेश की तारीख यानी 28.11.2025 से चार महीने की अवधि के भीतर मुकदमे को समाप्त करने का आदेश दिया



था, इस प्रकार, मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है, क्योंकि उक्त आदेश पारित हुए डेढ़ महीने से अधिक समय बीत चुका है।

12. यह भी तर्क दिया जाता है कि आवेदक के इशारा पर राइफल .315 बोर की बरामदगी होती है, जो मृतक व्यक्ति द्वारा लगी चोट से मेल खाती है। यह कहा गया है कि पहले से ही, औपचारिक गवाहों सहित कई गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है, जैसे, आवेदक, प्राथमिक आरोपी होने के नाते, जमानत का हकदार नहीं है।

13. खंडन में, वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा है कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं है कि उक्त बंदूक की गोली आवेदक द्वारा उक्त राइफल से लगी थी।

14. **‘एक्स’ बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य INSC 909 2024** में रिपोर्ट किए गए के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी साबित हो सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

15. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और चोटों की मात्रा और मृतक व्यक्तियों की संख्या पांच होने और मुकदमे के निर्णायक अंत में होने को ध्यान में रखते हुए, मुझे यह आवेदक को जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता। जमानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

16. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत के मद्देनजर **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्दी निर्णीत किया जाए।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।



जनवरी 13, 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।